

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 64/2015

संस्थित दिनांक-14/09/2012

फाईलिंग नंबर-230303009462012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. कृष्णकांत उर्फ नंगा पुत्र दुर्गाप्रसाद
आयु 27 साल निवासी मेहगांव जिला भिण्ड
2. ज्ञानसिंह पुत्र मूलचंद आयु 24 साल
निवासी बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड ----- आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक।

आरोपी कृष्णकांत उर्फ नंगा द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

आरोपी ज्ञानसिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 19/12/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण कृष्णकांत उर्फ नंगा एवं ज्ञानसिंह के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0, धारा-11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट तथा धारा-25 (1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-25/05/2012 को सुबह करीब 11:00 बजे थाना एण्डोरी के क्षेत्रांतर्गत नहर केनाल टेटोन की पुलिया के पास एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रभावशील रहते हुए सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में फरियादी रामवीर से नगद 400/-रुपए एवं एक चायना मोबाईल एवं उसकी पत्नी से सोने चांदी के जेवरातों को छीनकर लूट कारित की तथा आरोपीगण बिना अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक-एक कट्टा व एक-एक 315 बोर के कारतूस अपने आधिपत्य में रखे पाये गये।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, घटना दिनांक 25/05/2012 को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि घटना दिनांक को थाना गोरमी तहसील मेहगांव जिला भिण्ड में ग्राम कृपे का पुरा और उसके

मौजे में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कमलेश एनकाउण्टर में मारा गया था, और आरोपीगण पकड़े गए थे।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-25/05/2012 को फरियादी रामवीर ने अपनी पत्नी सहित थाने आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह अपनी पत्नी से साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-06-एच0ए0-7654 से अपनी ससुराल एन्हों से करीब 10 बजे अपने ग्राम जेरेडुआ के लिए जा रहा था, जैसे ही वह नहर केनाल टेटोन की पुलिया के पास पहुंचा तो एक काले रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल पर तीन लोग आए जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उनकी मोटरसाइकिल के आगे अडाकर उन्हें रोक लिया और उनमें से एक व्यक्ति ने उसे कट्टा दिखाया तथा दूसरे ने उसकी पत्नी से सोने की जंजीर कान के सोने की झुमकी, एक ओम, बालियां, मंगलसूत्र पेण्डल छीन लिए, उसने विरोध किया तो तीसरे ने कट्टा तान दिया और उसकी जेब में रखे 400/-रुपए तथा एक मोबाइल चायना फोरमी लाल रंग का जिसमें सिम क्रमांक 9826196958 डली थी छीनकर लूट कारित कर, उसकी मोटरसाइकिल लॉककर चाबी लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर बराहेड तरफ भाग गए। वह अपने सामान को व आरोपियों को समाने आने पर पहचान लेगा।
4. फरियादी रामवीर के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पत्नी के साथ थाना एण्डोरी आकर मौखिक रूप से लेखबद्ध करायी गयी जिस पर से थाना एण्डोरी में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-47/12 अंतर्गत धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 तथा धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि तीन बदमाशों में से एक बदमाश पुलिस मुदभेड में मारा जा चुका है, शेष दोनों आरोपियों से संबंधित विवेचना में आरोपीगण के धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन, घटनास्थल का नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त तथा अन्य थाना क्षेत्रांतर्गत पंजीबद्ध हुए अपराधों से संबंधित प्रपत्रों को संकलित करते हुए अभियोग पत्र का अंग बनाते हुए विवेचना पूर्ण कर विचारण हेतु अभियोग पत्र सक्षम डकैती न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण कृष्णकांत उर्फ नंगा एवं ज्ञानसिंह के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 तथा धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - 1- क्या दिनांक 25/05/12 को दिन के करीब 11:00 बजे थाना एण्डोरी के क्षेत्रांतर्गत टेटोन की पुलिया नहर के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में

आरोपीगण ने एनकाउण्टर में मारे गए कमलेश के साथ मिलकर फरियादी रामवीर और उसकी पत्नी निरमा से रास्ते में रूपए, मोबाइल, जेवरात और मोटरसाइकिल की चाबी की लूट कारित की ?

- 2- क्या उक्त लूट की घटना के समय आरोपीगण अपने आधिपत्य व संज्ञान में बगैर वैध अनुज्ञप्ति के डकैती प्रभावित क्षेत्र में 315 बोर के अवैध आग्नेय शस्त्र रखे हुए पाए गए ?

—::—निष्कर्ष के आधार ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 का विश्लेषण एवं निराकरण

7. इस संबंध में सर्वप्रथम घटनास्थल को विश्लेषित किय जाए तो, यह स्वीकृत तथ्य भी है, कि एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-03 के अंतर्गत संपूर्ण राजस्व जिला भिण्ड को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें अभियोजन कथानक में बताया गया, घटनास्थल ग्राम टेटोन की नहर की पुलिया के पास भी डकैती प्रभावित क्षेत्र में स्वीकृत तौर पर आता है, उसके संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य भी आई है, जिसमें पटवारी ए0एम0 कुशवार अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में हल्का पटवारी क्रमांक-16 का जो ग्राम टेटोन तहसील गोहद का है, उसका फरबरी 2012 से पटवारी पदस्थ होना बताते हुए, थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 47/12 में घटनास्थल पर जाकर नजरी नक्शा प्र0पी0-01 का तैयार करना कहा है, घटना के पीडित फरियादी रामवीर अ0सा0-02 एवं उसकी पत्नी श्रीमती निरमा अ0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उक्त स्थान को ही घटना स्थल बताया है, जहां उनके साथ लूट की घटना हुई थी, रामवीर ने प्र0पी0-03 का पुलिस द्वारा तैयार किए गए नक्शा मौका पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, प्र0पी0-03 का नक्शा मौका तैयार करने वाले निरीक्षक सतीश सिंह चौहान अ0सा0-07 ने भी घटना दिनांक को ही मौके पर जाकर निरीक्षण कर फरियादी रामवीर की निशादेही पर प्र0पी0-03 का नक्शा मौका तैयार करना बताया है, प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 में भी उक्त स्थान का ही घटनास्थल के रूप में उल्लेख है, ऐसे में स्वीकृत तथ्य जिसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, उससे व प्र0पी0-01, व प्र0पी0-03 के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है, कि बताया गया घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अब यह देखना होगा कि क्या उक्त बताए गए स्थान पर फरियादी रामवीर और उसकी पत्नी निरमा के साथ लूट की घटना घटित हुई, और क्या उसे आरोपीगण द्वारा एनकाउण्टर में मृत कमलेश के साथ अंजाम दिया गया, यह प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।

8. बचाव पक्ष का मूल आधार यह रहा है, कि पुलिस द्वारा घटना दिनांक को गोरमी थाना क्षेत्र में एक फर्जी मुटभेड दिखाई गई थी, और उसे प्रमाणित करने के लिए जिले के विभिन्न थानों में मृतक कमलेश और आरोपीगण के विरुद्ध झूठे अपराध पंजीबद्ध कराए, किंतु उक्त आधार प्रतिपरीक्षा के माध्यम से

औपचारिक रूप से लिया गया है, इस बारे में अभिलेख पर कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं है, कि फर्जी मुटभेड किस आधार पर हुई, ऐसे में उक्त बचाव के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह सुस्थापित विधि है, कि दाण्डिक मामलों में प्रमाण भार अभियोजन पर ही होता है, कि वह मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे और जब तक अभियोजन ऐसा करने में सफल नहीं होता है, तब तक आरोपीगण निर्दोष माने जाते हैं, इस दृष्टि से भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करना अपेक्षित है।

9. फरियादी रामवीर अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 15/02/16 को यह बताया है, कि करीब साढ़े तीन साल पहले वह अपनी पत्नी निरमा के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम ऐन्हो से जहां उसकी ससुराल है, वहां से अपने गांव जरेडुआ जा रहा था, और एन्हों की पुलिया से करीब आधा किलोमीटर आगे पहुंचने पर एक डिस्कवर काले रंग की मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आए, उनमें से एक ने उतरकर उसे कट्टा लगा दिया, और बोला कि चीज उतारो तब एक बदमाशने उसकी पत्नी निरमा की एक कान की झुमकी जबरन खींच ली दूसरे कान की झुमकी उसकी पत्नी ने दे दी, उसकी पत्नी एक लर, मंगलसूत्र, ओम पेण्डल, कानों की चार बालियां पहने थी, वह भी लूट लिए तथा उसका फोरमी कंपनी का एक लाल रंग का मोबाइल और 500/-रुपए नगदी लूट कर तीनों बदमाश बराहेड की तरफ भाग गए, इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य उसकी पत्नी निरमा अ0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में दिया है।
10. फरियादी रामवीर अ0सा0-02 का मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य दिनांक 15/02/16 को दोनों आरोपीगण के न्यायिक निरोध से पेश न होने पर पहचान का बिन्दु उत्पन्न होने से आदेश पत्रिका मुताबिक स्थगित किया गया था, क्योंकि उक्त साक्षी ने लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेना बताया था, अगले कार्यदिवस 16/02/16 को शेष परीक्षण में उक्त साक्षी ने आरोपीगण के न्यायालय में उपस्थित रहते हुए, उनकी पहचान लूट करने वाले आरोपियों के रूप में करते हुए, यह कहा है, कि उनके साथ आरोपीगण ने ही लूट की थी, और उनका एक साथ कमलेश उसी दिन पुलिस मुटभेड में मारा गया था, जैसा कि वह पैरा-09 में बताता है।
11. रामवीर अ0सा0-02 ने लूट की घटना के संबंध में थाना एण्डोरी में जाकर प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कराना बताया है और प्रतिपरीक्षण में इस बात को साफ तौर पर इन्कार किया है, कि उनके साथ कोई लूट न हुई हो और आरोपीगण ने न की हो। उसकी पत्नी श्रीमती निरमा अ0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में तीनों लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित करना बताते हुए, विचाराधीन दोनों आरोपीगण को पहचानते हुए तीसरा लूटेरा कमलेश का होना और एनकाउण्टर में मारा जाना भी बताया है। प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करने वाले निरीक्षक सतीश सिंह चौहान अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 फरियादी रामवीर की मौखिक रिपोर्ट पर लेखबद्ध करना बताई है, जो तीन व्यक्तियों के द्वारा टेटोन की पुलिया के पास कट्टा अडाकर रामवीर और उसकी पत्नी से जेवरात,

मोबाइल, रूपए आदि की लूट के संबंध लिखाई गई थी।

12. उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य मुताबिक प्र०पी०-०२ की एफ०आई०आर० जो तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध घटना दिनांक को ही बगैर किसी अनुचित बिलंब के लेखबद्ध की गई, उसकी पुष्टि होती है, प्र०पी०-०२ मुताबिक घटना दिन के 11:00 बजे की है, और एफ०आई०आर० उसी दिन दोपहर 01:10 बजे लेखबद्ध हुई, रामवीर अ०सा०-०२ के मुताबिक मौके पर लूट की घटना होने के बाद आरोपीगण के भाग जाने पर अपनी पत्नी के मोबाइल से ससुराल वालों को सूचना देना और ससुराल वालों के द्वारा पुलिस को सूचना देना पैरा-०७ में बताया है, तब पुलिस बाद में मौके पर पहुंची थी, और आधा एक घंटे वे मौके पर रुके थे, वह पुलिस के साथ ही थाने पर आना भी बताता है और एक दो घंटे रुकना भी उसने बताया है, बाद में पुलिस और उसकी ससुराल वाले बदमाशों की तलाश में भी गए इस बात की पुष्टि श्रीमती निरमा अ०सा०-०३ ने भी की है, उसने भी अपने मोबाइल से मायके में अपने भाई विनोद को फोन करना बताया है, जो मोटरसाइकिल से मौके पर आया था, उसका चचिया ससुर चार पहिया वाहन लेकर आया था, जिससे वे थाने गए और ससुराल में भी फोन करना बताया है, तथा मौके पर दो घंटे रुकने की बात पैरा-०५ में बताते हुए, लूटे गए सामान का विवरण जैसा कि प्र०पी०-०२ की एफ०आई०आर० में उल्लेखित है, उसी अनुरूप पैरा-०१ व पैरा-०७ में भी बताया है, इस तरह से उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-०२ की एफ०आई०आर० के वृत्तांत की पुष्टि हो जाती है, जिससे युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी प्रमाणित होता है, कि रामवीर और उसकी पत्नी श्रीमती निरमा के साथ दिनांक 25/05/12 को दिन के करीब 11:00 बजे ग्राम टेटोन की नहर की पुलिया के पास मोटरसाइकिल से जाते समय लूट की घटना तीन लोगों के द्वारा कारित की गई थी, चूंकि एफ०आई०आर० में इस बात का भी उल्लेख है, कि तीनों व्यक्तियों को सामने आने पर वह और उसकी पत्नी पहचान लेंगे, ऐसी स्थिति में एफ०आई०आर० एफ०आई०आर० में लूट कारित करने वालों के कद, काठी, हुलिया का लेख न होना महत्वहीन हो जाता है, हालांकि एफ०आई०आर० में लूट करने वालों की उम्र 25 से 28 साल के बीच की होना बताया गया है, लूट की घटना कारित करने वालों की पहचान का बिन्दु अभी आगे विश्लेषित करना होगा, क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपीगण द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने से इन्कार करते हुए अभियुक्त एवं माल की पहचान के संबंध में अभिलेख पर अभियोजन का दुर्बल और विधिक रूप से अविश्वसनीय साक्ष्य होने का तर्क किया गया है।

13. इस तरह से अ०सा०-०२ रामवीर, एवं अ०सा०-०३ निरमा एवं अ०सा०-०७ सतीशसिंह चौहान के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-०२ की एफ०आई०आर० प्रमाणित होती है, अब यह देखना होगा, कि क्या प्र०पी०-०२ में जो लूट बताई गई है, उसे आरोपीगण के द्वारा अपने मृतक साथी कमलेश के साथ ही कारित किया गया था, क्योंकि बचाव पक्ष मुताबिक मुटभेड को प्रमाणित करने के लिए झूठे अपराध पंजीबद्ध करना कहा गया है, मामले में अ०सा०-०२ रामवीर और अ०सा०-०३ निरमा के अभिसाक्ष्य में लूट में गई वस्तुओं के मूल्य वजन आदि को चुनौती दी गई है, जो सुसंगत नहीं है, क्योंकि एफ०आई०आर० में एक सामान्य

आंकलन लूट के कुल सामान का 40,000/-रुपए के रूप में अंकित किया गया है, रामवीर लूट की वस्तुओं का मूल्य एक डेढ़ लाख के करीब होना पैरा-06 में बताते हुए, पुलिस को 40,000/-रुपए कीमत बताने से पैरा-06 में इन्कार करता है, लूट में 100-100 के पांच नोट निकाले जाना पैरा-07 में बताता है और 400/-रुपए से इन्कार करता है, जो कि तात्विक नहीं है तथा जेवरात के वजन के बारे में पैरा-12 में उसने स्पष्टीकरण दिया है, कि जब रिपोर्ट लिखाई गई थी, तब उसे मामला ताजा होने से वजन याद रहा, उसका अभिसाक्ष्य घटना के तीन साल बाद हुआ है, ऐसे में वजन महत्व नहीं रखता है, जबकि वह जेवरात अपने पिता द्वारा बनवाया जाना भी कहता है, इसलिए लूट के सामान के मूल्य और वजन के संबंध में विराधाभाष स्वभाविक स्वरूप के हैं, इसलिए उन्हें महत्व नहीं दिया जा सकता है, और मूलतः अब लूट संबंधी अपराध के विश्लेषण के लिए आरोपियों और माल की पहचान का बिन्दु ही सर्वाधिक महत्व के रह जाते हैं, कि उनके द्वारा ही घटना कारित की गई या नहीं क्योंकि बचाव पक्ष ने अपने तर्कों के माध्यम से यह आपत्ति भी ली है, कि साक्ष्य में यह फरियादीगण ने स्वीकार किया है, कि उन्होंने थाने पर आरोपियों को देखा था, पुलिस ने दिखाया था, और उसी आधार पर जेल में पहचान की इसलिए पहचान परेड वैधानिक नहीं है और जो वस्तुएं बरामद हुई, उनकी आर्टीकल के रूप में न्यायालय में पहचान नहीं हुई, इसलिए मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदिग्ध है, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय और स्वभाविक होने के आधार पर मामला प्रमाणित माने जाने का तर्क किया है।

14. रामवीर अ0सा0-02 के अभिसाक्ष्य के पैरा-04 और पैरा-05 में यह तथ्य भी आया है, कि घटना वाले दिन वह अपनी ससुराल ग्राम एन्हो से अपने ग्राम जरेडुआ जा रहा था, जिसके बीच की दूरी उसने 30-35 किलोमीटर होना, ग्राम एन्हो से मुरैना के लिए डंबर रोड होना, मुरैना से उसका गांव करीब 09 किलोमीटर होना, स्वीकार करते हुए, यह भी स्वीकार किया है, कि नहर वाला कच्चा रास्ता था, जिससे वह गया था, और ग्राम एन्हो से मुरैना जाने के लिए ग्राम कोलुआ होते हुए डंबर रोड है, हालांकि कोलुआ वाले रास्ते से मुरैना की दूरी बचाव पक्ष ने 25 किलोमीटर बताते हुए, यह तर्क किया है, कि घटना इस आधार पर भी संदिग्ध मानी जाए, कि जिस रास्ते से फरियादी अपनी पत्नी बच्चे को लेकर गया, वह कच्चा रास्ता था और अधिक दूरी वाला था, जबकि डंबर वाला पक्का रास्ता सीधा और कम दूरी का था, इस आधार पर भी संदेह माना जाए, किंतु उनका यह तर्क इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है, कि कोलुआ वाले रास्ते से 25 किलोमीटर मुरैना की दूरी होना फरियादी ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि पैरा-08 में उसने घटनास्थल वाला रास्ता ही होने की बात कही है और बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया, कि पक्का रास्ता कम दूरी वाला था, तो फरियादी कच्चे और अधिक दूरी वाले रास्ते से क्यों जा रहा था, इसके अभाव में उक्त तर्क विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए भी घटनास्थल के बारे में संदेह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अ0सा0-02 ने पैरा-06 में अपनी मोटरसाइकिल का मीटर चालू न होना बताया है, ऐसे में भी उसके द्वारा बतालाई गई दूरी एक सामान्य आंकलन की तरह है और सटीक दूरी की आवश्यकता भी नहीं है, इसी कारण एफ0आई0आर0

में घटनास्थल से थाने की दूरी जो पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर अंकित है, और रामवीर पैरा-5 में 5-6 किलोमीटर बताता है, 10 किलोमीटर से इन्कार करता है, उससे भी उसके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह यह भी स्वीकार करता है, कि उसे किलोमीटर का अंदाज नहीं है।

15. जहां तक शिनाख्तगी का प्रश्न है, शिनाख्तगी के संबंध में विधिक स्थिति को देखा जाए तो शिनाख्तगी परेड का उद्देश्य साक्षी और विवेचक का आरोपी के बारे में संतुष्टि करने का है, कि साक्षी की संतुष्टि हो जाए और विवेचक भी वास्तविक आरोपी के बारे में अपनी संतुष्टि कर ले, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अंकुश मारुती सिंधे विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 2609** में मार्ग दर्शित किया है, तथा एक अन्य न्याय दृष्टांत **विश्वेश्वरन विरुद्ध स्टेट द्वारा डी0एम0 ए 0आई0आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 2471** में यह प्रतिपादित किया है, कि यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो तो दोषसिद्धि के लिए शिनाख्तगी की आवश्यकता नहीं है, और न्याय दृष्टांत **लखविंदर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए0आई0आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 2577** में यह प्रतिपादित किया है, कि यदि मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी नहीं है और शिनाख्तगी परेड भी नहीं कराई गई हो, तो ऐसे में अभियोजन के लिए घातक होता है। उपरोक्त सिद्धांतों के अनुक्रम में शिनाख्तगी की कार्यवाही को विश्लेषित करने की आवश्यकता हो जाती है।

16. फरियादी रामवीर अ0सा0-02 ने आरोपियों की शिनाख्तगी के संबंध में अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-03 में तो यह बताया है, कि आरोपीगण की शिनाख्तगी उसने मेहगांव जेल पर की थी, जिसका प्र0पी0-04 का शिनाख्तगी मेमो बनाया गया था, जिस पर वह ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी बताता है, और पैरा-09 में उसने यह भी स्वीकार किया है, कि घटना दिनांक को पुलिस और बदमाशों में मुटभेड हुई थी, जिसमें कमलेश मारा गया था, यह बात पुलिस ने उसे बताई थी, दूसरे दिन थाना गोरमी पुलिस के ले जाने पर गया था और उसने कमलेश की लाश गोरमी थाने में देखी थी, जहां दोनों आरोपीगण को भी पुलिस ने दिखाया था और यह भी कहा है, कि गोहद थाने ले जाने के पहले भिण्ड अस्पताल में पुलिस उसे लेकर गई थी, जहां उसने आरोपी नंगा को देखा था, वह उसके कंधे में गोली लगी होना भी बताता है, अस्पताल भिण्ड में पुलिस द्वारा आरोपी नंगा का नाम बताया जाना भी वह कहता है, साथ ही यह भी कहता है, कि आरोपियों की जो उसने पहचान की थी, वह उसे भूला नहीं था, वह उसे आज भी याद है, पैरा-10 में उसने करीब एक महीने बाद जेल में पहचान कराना बताया है, जो पहचान तहसीलदार ने कराई थी, गोरमी थाने में उसके आलाव उसकी पत्नी भी साथ गई थी, उसने भी आरोपीगण को गोरमी थाने में पहचाना था, जो कोठरी में बंद थे और निकाल कर दिखाया गया था, लेकिन इस बात से इन्कार किया है, कि गोरमी थाने पर कराई गई पहचान के आधार पर ही उसने जेल में पहचाना था, बल्कि यह कहा है, कि उसके साथ घटना हुई थी, इसलिए आरोपियों को उसने थाने और जेल पर पहचाना था, पैरा-11 में उसने यह भी यह भी कहा है, कि जेल में

हुई पहचान में 7-8 अन्य बंदी खड़े किए गए थे और 5-10 मिनट पहचान के लिए रुका था, पहचान करके लौट आया था, जेल जाने की सूचना पुलिस ने फोन से दी थी, जेल के अंदर तहसीलदार उसे लेकर गए थे, पैरा-13 में उसने यह भी स्वीकार किया है, कि घटना के पहले वह किसी आरोपी को नहीं जानता था और गोरमी थाने में जब दिखाया गया था, तब कोई लिखापट्टी हुई या नहीं यह उसे याद नहीं, लेकिन देखने आवश्यक गया था, पैरा-06 में उसने यह भी कहा है, कि **घटना के समय लूट करने वालों के मुंह खुले थे**, निरमा अ0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपियों की पहचान के संबंध में मुख्य परीक्षण के पैरा-02 में जो साक्ष्य दी है, उसका खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है, तथा उसके अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य अवश्य आया है, कि किस आरोपी ने कट्टा अड़ाया था, किसने उससे जेबर उतरवाए यह वह नहीं बता सकती है और न बता पाने का स्पष्टीकरण भी उसने पैरा-03 में दिया है, कि उसकी गोद में एक साल का बच्चा था और उसका ध्यान बच्चा संभालने में था, जो कि सटीक व स्भाविक स्पष्टीकरण है।

17. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने रामवीर अ0सा0-02 के प्रतिपरीक्षण में थाने पर आरोपियों को पुलिस द्वारा दिखाए जाने के आधार पर उनकी प्र0पी0-04 मुताबिक कराई गई, शिनाख्तगी परेड का दूषित और अवेधानिक होने का तर्क किया है, जबकि विद्वान ए0जी0पी0 ने अपने तर्कों में लूट के समय आरोपियों के मुंह खुले होने के आधार पर वास्तविक पहचान होने का तर्क किया है।

18. अभियुक्तों की पहचान परेड कराने वाले तहसीलदार सर्वेश यादव अ0सा0-04 का अभिसाक्ष्य भी अभियोजन की ओर से कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 18/06/12 को उसने नायब तहसीलदार गोहद के पद पर रहते हुए, थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 47/12 के आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं नंगा उर्फ कृष्णकांत की शिनाख्तगी परेड की कार्यवाही उपजेल मेहगांव में कराई थी, जिसमें फरियादी रामवीर द्वारा दोनों आरोपियों के सिर पर हाथ रखकर सही पहचान की गई थी, पहचान के समय समान कद, काठी, उम्र के 4-4 व्यक्ति शामिल किए गए थे, जो जेल के अन्य बंदी थे और शिनाख्तगी कार्यवाही के समय उसके, आरोपीगण, मिलाए गए बंदी और पुलिस कर्मचारियों के अलावा और कोई नहीं था, फरियादी को पुलिस के लेकर आई थी, इसलिए आई थी, इसलिए फरियादी की पहचान के संबंध में उसने पूछताछ नहीं की थी, न ही पहचानपत्र मांगा था, और उसने पहचान परेड में समान कद, काठी का ध्यान रखा था, अपने कार्यालय में बैठकर शिनाख्तगी कार्यवाही करने से इन्कार किया है, फरियादी रामवीर ने भी इस बात की पुष्टि की है, कि उसे शिनाख्तगी के लिए पुलिस ने फोन से सूचित किया था, तब वह मेहगांव जेल पर पहुंचा था, प्र0पी0-04 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कि पहचान परेड किन-किन लोगों को आरोपियों के साथ शामिल किया गया था, अ0सा0-04 ने समान कद काठी और उम्र के अन्य बंदी मिलाए जाना कहे हैं, जिससे उसके द्वारा कराई गई, पहचान परेड को दूषित नहीं माना जा सकता है।

19. जहां तक यह प्रश्न है, कि फरियादी ने आरोपियों को घटना के

अगले दिन ही गोरमी थाने में देख लिया था, इस आधार पर पहचान परेड दूषित है, तो इस संबंध में रामवीर के अभिसाक्ष्य में स्पष्ट आया है, कि घटना के समय आरोपियों के मुंह खुले थे, जिसका खण्डन नहीं हुआ है, घटना भी दिन के 11:00 बजे की है, और सूर्य की रोशनी व प्राकृतिक उजाले में मुंह खुले व्यक्तियों का घटना के समय देखकर पहचानपाना संभव है, लूट की घटना कितने समय में पूर्ण हुई इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है, यह तथ्य आया है, कि रास्ते में जाते समय बदमाशों ने मोटरसाइकिल अडा कर रोका था, एक कट्टा अडाया दूसरे ने काने से बारी फिर उसकी पत्नी ने उतार कर दे दी, मोबाइल छीना, रूपए छीने ऐसे में घटना में कम से कम एक दो मिनट का समय तो निश्चित तौर पर लगना स्वभाविक है और इतनी अवधि में खुले मुंह वालों की पहचान करपाना संभव है, जहां तक थाना गोरमी में दूसरे दिन आरोपियों को पहचानने का प्रश्न है, यह सही है, कि दूसरे दिन फरियादी ने आरोपियों को गोरमी थाने में देखा था, जहां एनकाउण्टर में वे पकड़े गए, उसके करीब एक महीने बाद जेल में पहचान की कार्यवाही हुई है, प्र0पी0-04 के मुताबिक पहचान परेड 18/06/12 को हुई थी, घटना 25/05/12 की है, इसमें करीब तीन सप्ताह का अंतराल रहा है, ऐसे में गोरमी में आरोपियों को देखे जाने के आधार पर जेल में शिनाख्तगी करना नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामवीर ने पैरा-10 में यह भी स्पष्ट आया है, कि उसके साथ घटना हुई थी, इसलिए उसने थाने पर और जेल पर आरोपियों को पहचाना था, ऐसे में गोरमी थाने में देख लिए जाने के आधार पर प्र0पी0-04 की शिनाख्तगी कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शिनाख्तगी का उद्देश्य जैसा ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत में स्पष्ट है, साक्षी और विवेचक की संतुष्टि वास्तविक अपराध के बारे में है, उस उद्देश्य को गोरमी थाने में देखे जाने से विफल नहीं माना जा सकता है, गोरमी थाने में फरियादी को कौन पुलिस वाला लेकर गया, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, और घटना के विवेचक निरीक्षक सतीश सिंह चौहान अ0सा0-07 ने पैरा-09 में फरियादी और उसकी पत्नी को गोरमी थाने परे जाकर आरोपियों की पहचान कराए जाने से इन्कार किया है, जिसे इसलिए असत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गोरमी थाने रामवीर और उसकी पत्नी को कौन पुलिस वाला लेकर गया था, यह स्पष्ट नहीं आया है, अतः इस न्यायालय के मत में प्र0पी0-04 को रामवीर अ0सा0-02 और सर्वेश यादव अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित माना जाता है, और बचाव पक्ष के आरोपियों की पहचान के संबंध में किए गए तर्कों को विधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

20. जहां तक माल शिनाख्तगी का प्रश्न है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क रहा है, कि जब्तशुदा माल की पहचान की कार्यवाही भी अवैधानिक है, क्योंकि उसे न्यायालय में पेश भी नहीं किया गया है, और थाने में दिखा दिया गया, तथा पहचान कराने वाले तहसीलदार ने भी शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0-05 में नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए वह प्रमाणित नहीं है, इस आधार पर मामले को संदिग्ध माना जाए, जबकि विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है, कि माल की पहचान परेड उचित रीति से हुई है, इसलिए तकनीकी बिन्दु पर मामले को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

21. माल की पहचान के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है,

उसमें प्रकरण की विवेचना करने वाले निरीक्षक सतीश सिंह चौहान अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 26/05/12 को आरोपीगण कृष्णकांत उर्फ नंगा एवं ज्ञान सिंह की थाना गोरमी जाकर औपचारिक गिरफ्तारी प्र0पी0-08 व प्र0पी0-09 के गिरफ्तारीपत्रक बनाकर करना बताई है और पैरा-09 में यह कहा है, कि आरोपियों को थाना गोरमी में गिरफ्तार होने की उसे जानकारी उक्त दिनांक को ही मिली थी, उसका यह भी साक्ष्य है, कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी कृष्णकांत उर्फ नंगा से पूछताछ करके धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत उसका ज्ञापन माल के संबंध में लिया था और उसने सोने का ओम हिस्से में प्राप्त करना और मकान की टांड पर छिपाकर रखना और बरामद कराने की बता बताई थी, जिसका प्र0पी0-10 का ज्ञापन तैयार किया था, तथा उसी दिन आरोपी ज्ञानसिंह से भी इस संबंध में पूछताछ कर ज्ञापन लिया था, जिसमें उसने हिस्से में मंगलसूत्र प्राप्त होना और गांव के मकान के आले में छिपाकर रखना और बरामद कराना बताया था, जिसका प्र0पी0-11 का ज्ञापन तैयार किया था, जिनके ए से ए भागों पर उसने अपने और बी से बी भागों पर आरोपियों के हस्ताक्षर कराना बताए हैं।

22. विवेचक अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 31/05/12 को थाना गोरमी के अपराध क्रमांक 115/12 में के जब्तीपत्र की सत्यापित प्रति लाकर थाने पर पेश की थी, और केशडायरी में शामिल किया था, जिसके जब्तीपत्र में क्रमांक 01 लगायत 07 का सामान व कागजत जब्त किया था, जिसका प्र0पी0-06 का जब्तीपत्र बनाया था, तथा दिनांक 23/08/12 को आरक्षक शिवानंद के द्वारा थाना पडाव ग्वालियर के अपराध क्रमांक 254/12 एवं थाना गोरमी के उक्त अपराध क्रमांक 115/12 तथा कमलेश से संबंधित मार्ग क्रमांक 15/12 से संबंधित कागजात सुपुर्द किए गए थे, जिसे उसने प्र0पी0-07 का जब्तीपत्र बनाकर जब्त किया था, प्र0पी0-06 एवं प्र0पी0-07 के जब्तीपत्रों की कार्यवाही का समर्थन प्रधान आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है, और यह बताया है, कि जो सामान प्र0पी0-06 एवं प्र0पी0-07 के द्वारा जब्त हुआ था, उसे खोलकर नहीं देखा था।

23. विवेचक अ0सा0-07 ने आरोपीगण कि गिरफ्तारी की कार्यवाही में स्थानीय व्यक्तियों को साक्षी न बनाने के संबंध में कण्डिका-10 में स्पष्टीकरण दिया है। पैरा-12 में झूठी कायमी से इन्कार किया है, और पैरा-13 में पुलिस मुटभेड की जानकारी वायरलेस से तत्काल हो जाने से उसे मिल जाने की बात से भी इन्कार किया है। प्र0पी0-06 के जब्तीपत्र मुताबिक थाना गोरमी में दर्ज अपराध क्रमांक 115/12 में जो वस्तुएं पुलिस मुटभेड में मारे गए कमलेश के बदन से प्राप्त हुई थी, उनकी जब्ती बनाई गई थी, जिसमें दो बाली मोटरसाइकिल की चाबी और फोरमी मोबाइल मिला था, तथा 315 बोर के कटटे कारतूस खोखे आदि उक्त आरोपीगण से बरामद हुए थे, ज्ञानसिंह से डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम0ई0 3180 भी बरामद हुई थी, प्र0पी0-07 की जब्तीपत्र मुताबिक थाना पडाव ग्वालियर में चोरी का दर्ज अपराध क्रमांक 254/12 की एफ0आई0आर0 और थाना गोरमी के उक्त अपराध क्रमांक 115/12 की पुलिस मुटभेड संबंधी एफ0आई0आर0 की मार्ग सूचना कमलेश की शवपरीक्षण रिपोर्ट और आरोपीगण की अभियोजन स्वीकृति आदि के दस्तावेज

बरामद होना बताए गए है।

24. जिस सामान की शिनाख्तगी इस प्रकरण के फरियादी रामवीर के द्वारा प्र0पी0-05 मुताबिक की जाना बताई गई है, उसके संबंध में रामवीर अ0सा0-02 एवं तहसीलदार श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी अ0सा0-06 की साक्ष्य कराई गई है, जिनकी अभिसाक्ष्य के आधार पर माल की शिनाख्तगी संबंधी बिन्दु का निर्धारण करना होगा।
25. श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी अ0सा0-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 25/07/12 को नायब तहसीलदार गोहद के पद पर पदस्थ रहते हुए, थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 47/12 में जब्त सामान नगदी, जेवर की पहचान की कार्यवाही तहसील परिसर गोहद में फरियादी रामवीर से कराना और उसके द्वारा अपने सामान की सही पहचान करना बताते हुए, शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0-05 तैयार करना कहा है और यह स्पष्ट किया है, कि पुलिस द्वारा यह बताया गया था, कि माल लूटा है, उसकी पहचान होना है, जो सामग्री उसने मिलाई थी, उसमें सोने जैसी धातु की दो बाली मिलाई थी, उसके आकार का उल्लेख प्र0पी0-05 में नहीं किया है, मोटरसाइकिल की चाबी किस कंपनी की थी, उसका भी उल्लेख नहीं किया है, नोट सामने रखे गए थे, उन नोटों के नंबर वह नहीं बता सकती है, मिलाया गया सामान शील्ड नहीं था, जब्त सामान शील्ड था, जिसका शिनाख्तगी के समय खोले जाने का उसने पंचनामा नहीं बनाया था और प्र0पी0-05 में भी उल्लेख नहीं किया है, मिलाया गया सामान और लूटा गया सामान करीब एक जैसा था, पुलिस के कहने पर दस्तावेज तैयार करने से उक्त साक्षी ने इन्कार किया है।
26. शिनाख्तगी करने वाले रामवीर अ0सा0-02 जो कि प्रकरण का फरियादी भी है, उसने इस संबंध में अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-03 में यह बताया है, कि जिस सामान की उसने पहचान की, उसमें कान की बाली और मोबाइल था, जो उसे सुपुर्दगी पर मिला है, जिसके शिनाख्तगी मेमो प्र0पी0-05 पर उसने अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किए हैं, तथा पैरा-11 में यह कहा है, कि माल की पहचान के समय सोने की बाली एक थी, तीन-चार मोबाइल थे, मोटरसाइकिल की एक चाबी रखी गई थी, माल की पहचान गोहद थाने पर कराई गई थी, पहचान के समय ऐसा नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल की दो तीन चाबियां, लालरंग के दो मोबाइल और सोने जैसी धातु की दो बालियां रखी गई हों, उसके मुताबिक पहचान की कार्यवाही के समय रूपए नहीं रखे गए थे।
27. इस प्रकार से प्र0पी0-05 के संबंध में विरोधाभासी स्थिति अवश्य है, क्योंकि प्र0पी0-05 में रूपए की भी पहचान कराई जाना और हाथ से छूकर पहचान करना अंकित किया गया है, जबकि प्र0पी0-06 और प्र0पी0-07 के जो जब्तीपत्रक हैं, उनमें रूपए जब्त नहीं हैं, तथा कथानक मुताबिक फरियादी रामवीर की मोटरसाइकिल सुजुकी कंपनी की थी, जिसका एफ0आई0आर0 प्र0पी0-02 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम0पी0-06-एच0ए0-7654 का उल्लेख है, जो प्र0पी0-06 मुताबिक कमलेश के बदन से मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई, वह चाबी हीरोहोण्डा की होने का उल्लेख है, माल जब्तीपत्रक में जो कि थाना गोरमी के मूल अपराध क्रमांक 115/12 में था, उससे वह चाबी भी अलग है, प्र0पी0-05 में

जो सोने जैसी धातु की बालियों की पहचान होनी थी, वे छोटी-छोटी पतली मिलाई गई, सोने की बालियां बड़ी होने का उल्लेख किया गया है, लाल रंग के दो मोबाइल रखा जाना बताया है, प्र0पी0-06 मुताबिक जो मोबाइल कमलेश के बदन से मिला था, वह फोरमी कंपनी का अवश्य था, किंतु आई0एम0ई0आई0 नंबर का उल्लेख जो गोरमी के जब्तीपत्र में है, जिसके आधार पर प्र0पी0-06 लेख किया गया, उसका मूल शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0-05 में उल्लेख नहीं है, और अभिलेख पर किसी भी दस्तावेज में फरियादी के मोबाइल के आई0एम0ई0आई0 नंबर का उल्लेख नहीं है, ऐसे में प्र0पी0-05 का दस्तावेज सुदृढ़ उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नहीं माना जा सकता है, हालांकि विचाराधीन मामले में माल शिनाख्तगी का बिन्दु उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि यदि माल बरामद न भी होता, तब भी आरोपियों की पहचान लूट कारित करने वालों के रूप सुदृढ़ साक्ष्य से हुई है, इसलिए अभियोजन के मामले को प्र0पी0-05 के शिनाख्तगी पंचनामे के विसंगतीपूर्ण होने के आधार पर संदिग्ध नहीं माना जा सकता है, जैसा कि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है, और अनुसंधान के दौरान यदि कोई कमी तकनीकी रूप से रह जाती है, तो उसके लिए पीडित पक्ष को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है।

28. विचाराधीन मामले में प्र0पी0-02 की एफ0आई0आर0 मुताबिक बताई गई लूट की घटना कारित होना और आरोपीगण के द्वारा मृतक कमलेश के साथ मिलकर उसे अंजाम दिए जाने के संबंध में पर्याप्त विश्वसनीय प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके कारण अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है, न ही फरियादी रामवीर अ0सा0-02 के पुलिस कथन प्र0डी0-01 में उत्पन्न औपचारिक विरोधाभाषों को महत्व दिया जा सकता है, जैसा कि तर्क किया गया है और एफ0 आई0आर0 में पूरे वृत्तांत की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक बिन्दु जो प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव के माध्यम से रखे गए, उसका एफ0आई0आर0 प्र0पी0-02 में उल्लेख न होने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि न्याय दृष्टांत इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एफ0आई0आर को सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है अर्थात् उसमें संपूर्ण विवरण और हर चीजें आना विधि की अपेक्षा में नहीं हैं। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **झलनिया डीमर विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0 (2012) वोल्यूम-1 एम0पी0 189** अवलोकनीय है।

29. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र कमवार साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन के पश्चात उपरोक्त लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा संदेह के परे कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है, फलतः आरोपीगण को लूट की घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में कारित किए जाने के फलस्वरूप धारा-392 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के विरचित आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का विश्लेषण एवं निराकरण

30. इस संबंध में अभिलेख पर प्र0पी0-06 एवं प्र0पी0-07 के माध्यम

से जो जब्ती हुई है, जिनमें 315 बोर के अवैध कट्टा कारतूस और खोखे मिलना भी बताया गया है, जो कि थाना गोरमी में पजीबद्ध मूल अपराध क्रमांक 115/12 का भाग है और प्र०पी०-07 के साथ जो आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा-39 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, वह भी गोरमी से संबंधित अपराध का है, विचाराधीन मामले में अवैध आग्नेय शस्त्र की बरामदगी आरोपीगण से न तो हुई है, न ही विचाराधीन प्रकरण से संबंधित थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 47/12 में कोई अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है, ऐसी स्थिति में धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के विरचित आरोप के प्रमाण हेतु कोई विधिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, इसलिए प्र०पी०-06 और प्र०पी०-07 के आधार पर उक्त आरोप में दोषसिद्धि विधिक रूप से संभव नहीं है, फलतः साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-ख)(क) सहपठित धारा-11,13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. आरोपीगण को धारा-392 भा०द०वि० सहपठित धारा-11,13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 में ऊपर वर्णित अनुसार दोषसिद्ध किया गया है, अतः दोषसिद्ध अपराध में दण्डाज्ञा पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश, डकैती

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

—::— दण्डाज्ञा —::—

32. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के विद्वान अधिवक्ता को एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अपराध गंभीर है और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कड़ा दण्ड दिया जावे। जबकि आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि आरोपीगण नवयुवक हैं और शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आरोपीगण की कोई पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा लूट डकैती की कोई घटनाएं नहीं की गयीं थी तथा वे प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन का सामना करते चले आ रहे हैं, इसलिये उसपर दया का भाव रखते हुए काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि से या जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जावे ताकि उसका भविष्य बरवाद न हो और परिवार संकटापन्न न हो।

33. उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया। अभिलेख व अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। अभिलेख पर आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है। जिससे उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है किन्तु लूट की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दोषसिद्ध आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के संबंध में उदार रुख अपनाया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होगा,

बल्कि यथोचित दण्ड आवश्यक है। इस दृष्टि से उक्त आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के द्वारा न्यायिक निरोध के दौरान भोगी गयी न्यायिक अवधि भी पर्याप्त दण्डादेश नहीं मानी जा सकती है इसलिये आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। तथा केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर दोषसिद्ध अपराधों में छोड़ा जाना विधिक रूप से भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं और इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे. (एस.सी.) पेज-277 अवलोकनीय है। जिसमें यह अवधारित किया है कि सामाजिक रूप से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं लोगों की धारणा में परिवर्तन लाये जाने के उद्देश्य से तथा समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके इस दृष्टि से उचित दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।

34. इस तरह से समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा को धारा-392 भा0दं.वि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट 1981 के अपराध के लिए सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। विचारण के दौरान काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि धारा-428 द.प्र.सं.के तहत प्रमाणपत्र में जोड़ी जावे। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में व्यतिक्रम में 06-06 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
35. आरोपीगण ज्ञानसिंह एवं कृष्णकांत उर्फ नंगा को निर्णय की निशुल्क नकलें प्रदाय की जावें।
36. आरोपीगण नंगा उर्फ कृष्णकांत एवं ज्ञानसिंह के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
37. प्रकरण में जल्दशुदा संपत्ति आदेश पत्रिका दिनांक-06/08/2012 से पूर्व से पंजीकृत स्वामी आवेदक रामवीर को सुपुर्दगी पर दी गयी है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य हो।
38. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 19/12/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड